[2021] 6 एस सी आर 187

वेल्लादुराई

वी.

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 953)

14 सितंबर, 2021

[एम. आर. शाह और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.306 r/ws। 4 (ख) तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम-आत्महत्या के लिए उकसाना -

घटना के समय के निकटवर्ती अभियुक्त की ओर से किसी भी सकारात्मक कार्रवाई के बिना केवल उत्पीड़न, जिसके कारण आत्महत्या हुई अपराध यू/नहीं है आई. पी. सी.-तथ्यों के आधार पर, अपीलार्थी की पत्नी ने कीटनाशक का सेवन किया और उसकी मृत्यु हो गई-घटना की तारीख को अपीलार्थी का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था-लेकिन रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी ने आत्महत्या करने के लिए उकसाने या एक निश्चित कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई थी-इसके विपरीत, अपीलार्थी ने भी कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था-आत्महत्या के लिए उकसाने का संकेत देने वाली कोई सामग्री नहीं होने के कारण, निचली अदालतों ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने में गलती की। s.306 आई. पी. सी.-अपीलार्थी को यू / s.306 आई. पी. सी. और एस. 4 (ख) तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम को तदनुसार रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 . अपीलार्थी को मुख्य रूप से आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। यह सच है कि उस दिन

घटना, मृतक और के बीच झगड़ा हुआ था

इसमें अपीलार्थी-अभियुक्त और उसके बाद दोनों, अपीलार्थी और मृतक ने कीटनाशक का सेवन किया। यहां तक कि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने भी कीटनाशक का सेवन किया और उसे चार दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और चार दिनों के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन दुर्भाग्य से पत्नी की मौत हो गई। के बीच पहले के झगड़े

पति और पत्नी इस आरोप पर कि अपीलार्थी-अभियुक्त का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित और साबित नहीं किया गया है। यहां तक कि अपीलार्थी की बेटी ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और मुकर गई है। अपीलार्थी-अभियुक्त और मृतक के बीच विवाह 25 साल पहले हुआ था। इसलिए,

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत अनुमान नहीं लगेगा। [पैरा 7.1,8] [191-एफ-एच; 192-ए-सी]

2.1 . अब जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध का संबंध है, ऐसे मामले में जहाँ कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है और इस तरह के उकसावे के परिणामस्वरूप दूसरा व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो उकसाने वाला व्यक्ति आई. पी. सी. की धारा306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दंडनीय है। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 376 के प्रावधान के भीतर एक मामला लाने के लिए, आत्महत्या का मामला होना चाहिए और उक्त अपराध के करने में, वह व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है।

आत्महत्या को बढ़ावा देने के लिए उकसाने या एक निश्चित कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई होगी। घटना के समय के निकट अभियुक्त की ओर से किसी भी सकारात्मक कार्रवाई के बिना केवल उत्पीड़न जो आत्महत्या का कारण बना आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध नहीं होगा। [पैरा 9] [192-सी-ई]

2.2 . किसी व्यक्ति द्वारा उकसाना तब होता है जब कोई व्यक्ति उकसाता है।

कुछ और करने के लिए। जहां अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की थीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, वहां उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता है। तत्काल मामले में, अपीलार्थी के खिलाफ आरोप है कि घटना के दिन झगड़ा हुआ था। अभिलेख पर कोई अन्य सामग्री नहीं है जो उकसाने का संकेत देती हो। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक को उकसाने के कार्य द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई थी ताकि सहायता प्रदान की जा सके

आत्महत्या का कार्य। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-अभियुक्त ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की और कीटनाशक का सेवन किया। परिस्थितियों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री नहीं है जो उकसाने का संकेत देती है, उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत दोनों ने दोषी ठहराने में त्रुटि की है

आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त। [पैरा 9.1] [192 एफ-एच; 193-ए]

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय, साथ ही, निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश जिसमें आरोपी को आई. पी. सी. की धारा306 और धारा के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। 4 (ख) तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। [पैरा 10] [193-बी] वेल्लादुराई बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व

अमलेंदु पाल बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 1 एससीसी

दिल्ली), (2009) 16 एस. सी. सी. 605: [2009] 13 एससीआर 230 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 15 एससीआर 836

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5.3

[2009] 13 एससीआर 230

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.3

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का सं. 953।

उच्च न्यायालय के 03.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 की आपराधिक अपील (एम. डी.) No.417 में मदुरै पीठ के मद्रास में न्यायिक न्यायालय।

अरुण प्रकाश, बी. बालाजी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, 2009 की आपराधिक अपील (एम. डी.) संख्या 417 में मदुरै में पीठ, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा यहां प्रस्तुत की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है-मूल अभियुक्त और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए और उसे तीन साल की सजा सुनाते हुए विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की है, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि इसमें अपीलकर्ता-अभियुक्त ने मृतक के साथ शादी की है

25 घटना से कई साल पहले; कि उक्त विवाह में से, उनके तीन बच्चे थे, एक विवाहित बेटी पी. डब्ल्यू. 2, अलग रहती थी और उनके दो बेटे चेन्नई और केरल में काम करते थे। कि घटना के दिन मृतक की पत्नी के बीच कुछ झगड़ा हुआ था अभियुक्त और अभियुक्त। कि इसके बाद मृतक के साथ-साथ अपीलार्थी दोनों ने कीटनाशक का सेवन किया। तथापि, अपीलार्थी [2021] 6 एस. सी. आर.

बच गए, लेकिन कीटनाशक का सेवन करने से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सबसे छोटा।

मृतक के भाई-पीडब्लू1 ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी की दूसरी महिला के साथ अंतरंगता है और इसलिए दंपति को झगड़ा करने की आदत है और इस संबंध में घटना से पहले बड़ों द्वारा एक पंचायत भी बुलाई गई थी और जिसके कारण 7.5.2007 पर झगड़ा हुआ और दोनों ने कीटनाशक का सेवन किया और उन्हें स्थानीय निजी अस्पताल ले जाया गया और मृतक की मृत्यु हो गई और आरोपी को चार दिन बाद छुट्टी दे दी गई। इसलिए, आरोपी के खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि उसने आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध किया है। जाँच के समापन पर, अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था।

2.1 विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया-यहाँ अपीलार्थी

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2500 / - , जुर्माने का भुगतान न करने पर, तीन महीने के साधारण कारावास और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 (बी) के तहत अपराध के लिए भी और उसे तीन साल के आर. आई. से गुजरने और Rs.2500/- का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई, जुर्माने का भुगतान न करने पर, तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। 3. निचली अदालत के फैसले से व्यथित, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। के द्वारा

विवादित निर्णय और आदेश, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है, हालांकि, आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि की पुष्टि की है, लेकिन सजा को घटाकर तीन साल कर दिया है।

4. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है

5.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के कोई भी तत्व बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्थापित और सिद्ध नहीं है कि वास्तव में अपीलार्थी ने आत्महत्या के लिए उकसाया था। यह है। प्रस्तुत किया कि यह भी विवाद में नहीं है कि झगड़ा हुआ था, लेकिन साथ ही आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ कीटनाशक का सेवन भी किया। लेकिन दुर्भाग्य से पत्नी की मौत हो गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वेल्लादुराई बनाम।

द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य

पुलिस के निरीक्षक [एम. आर. शाह, जे.]

अपीलार्थी-पति और मृतक के बीच झगड़े को छोड़कर

घटना के दिन, आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए मामला बनाने के लिए कोई और सबूत नहीं है।

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि पी. डब्ल्यू. 2, बेटी भी मुकर गई और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

5.3 उपर्युक्त प्रस्तुतियाँ करना और अमलेंदु पाल बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना। पश्चिम बंगाल राज्य,

(2010) 1 एस. सी. सी. 707 में रिपोर्ट किया गया; और चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार), (2009) 16 एस. सी. सी. 605 में प्रतिवेदित, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और खारिज कर दिया जाए और अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए अदालतों द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाए-तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 (बी) के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त।

6. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना के दिन मृतक और अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे पहले भी झगड़े हुए थे क्योंकि अपीलार्थी-अभियुक्त का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

इस वजह से पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और इसी वजह से मृतक ने आत्महत्या कर ली। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 (बी) के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने में निचली अदालतों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में। 7.1 अपीलार्थी को मुख्य रूप से आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच विवाह 25 साल पहले हुआ था। यह भी विवाद में नहीं है कि उक्त विवाह में से मृतक और

अपीलार्थी के तीन बच्चे थे, जो अलग-अलग रहते थे। यह सच है कि घटना के दिन मृतक और उसके बीच झगड़ा हुआ था। इसमें अपीलार्थी-अभियुक्त और उसके बाद दोनों, अपीलार्थी और मृतक ने कीटनाशक का सेवन किया। यहाँ तक कि अपीलार्थी अभियुक्त भी

कीटनाशक का सेवन किया और उन्हें चार दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और चार दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन दुर्भाग्य से पत्नी की मौत हो गई। पति और पत्नी के बीच पहले के झगड़े [2021] 6 एस. सी. आर.

इस आरोप पर कि अपीलार्थी-अभियुक्त का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, यह स्थापित और साबित नहीं हुआ है अभियोजन। यहां तक कि अपीलार्थी की बेटी ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और मुकर गई है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर साक्ष्य के आलोक में, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध किया है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है?

8. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थी अभियुक्त और मृतक के बीच विवाह 25 वर्ष से पहले हुआ था। इसलिए,

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत अनुमान नहीं लगेगा।

9. अब जहां तक आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध का संबंध है, ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है और इस तरह के उकसावे के परिणामस्वरूप दूसरा व्यक्ति

आत्महत्या करता है, उकसाने वाला व्यक्ति आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा306 के प्रावधान के भीतर एक मामले को लाने के लिए, आत्महत्या का मामला होना चाहिए और उक्त अपराध के करने में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाने के कार्य या आत्महत्या को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निश्चित कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई होगी। जैसा कि अमलेंदु पाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है, घटना के समय के निकट अभियुक्त की ओर से किसी भी सकारात्मक कार्रवाई के बिना केवल उत्पीड़न, जिसके कारण आत्महत्या हुई, आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध नहीं होगा।

9.1 किसी व्यक्ति द्वारा उकसाना तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे को कुछ करने के लिए उकसाता है। जहां अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की थीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, वहां उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता है। तत्काल मामले में, अपीलार्थी के खिलाफ आरोप है कि घटना के दिन झगड़ा हुआ था। अभिलेख पर कोई अन्य सामग्री नहीं है जो

प्रोत्साहन का संकेत देता है। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी अभियुक्त ने आत्महत्या करने में सहायता करने के लिए मृतक को उकसाने के कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई हो। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-अभियुक्त ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की और आत्महत्या कर ली

कीटनाशक। परिस्थितियों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अभिलेख पर कोई अन्य सामग्री नहीं है जो उकसाने का संकेत देती है, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वत विचारण न्यायालय दोनों के पास VELLADURAI v है।

द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य

पुलिस के निरीक्षक [एम. आर. शाह, जे.]

आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में गलती की।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। विवादित निर्णय और आदेश की तारीख

03.07.2019 उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील (एम. डी.) सं. 417/2009 , साथ ही, आई. पी. सी. की धारा306 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 (बी) के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.12.2009 के निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।

11. दिनांक 14.02.2020 के आदेश द्वारा, अपीलार्थी-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा उन नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया गया जो बी.

विचारण न्यायालय द्वारा नियत किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए, उसके जमानत बांड को हटा दिया जाएगा।

12. तत्काल अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

अपील की अनुमति दी गई

बिभूति भूषण बोस